

न्यायालय:- नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध आदेश

क्रमांक-क्यू/सीजेएम/रि./2025

रायगढ़ दिनांक 01/10/2025

मैं नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ0ग0) धारा 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय, रायगढ़ क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य माह अक्टूबर - 2025 के शासकीय अवकाश के लिए निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाती हूँ:-

(जिला मुख्यालय रायगढ़ हेतु)

श्री देवाशीष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री प्रतीक टेम्बुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
11/10/2025, 12/10/2025, 26/10/2025	04/10/2025, 05/10/2025, 18/10/2025
श्री अजय लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
03/10/2025, 19/10/2025, 20/10/2025	02/10/2025, 21/10/2025, 22/10/2025

(बाह्य न्यायालय, घरघोड़ा हेतु)

श्रीमती काम्या अय्यर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़	श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़	कु. प्रीति झा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़
03/10/2025, 04/10/2025, 05/10/2025, 12/10/2025, 26/10/2025	02/10/2025, 19/10/2025, 20/10/2025	11/10/2025, 18/10/2025 21/10/2025, 22/10/2025

(बाह्य न्यायालय, खरसिया हेतु)

कु. मृणालिनी कातुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला रायगढ़	श्रीमती मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला रायगढ़
02/10/2025, 03/10/2025, 04/10/2025, 05/10/2025, 11/10/2025	12/10/2025, 18/10/2025, 19/10/2025 20/10/2025, 21/10/2025, 22/10/2025, 26/10/2025

टीप:- (01) उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 3:00 बजे से 5:00 बजे अपने न्यायालयीन स्टॉफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दायिद्वक कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते हैं या अवकाश लेते हैं, तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात् ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

(02) यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा।

(03) यदि माह अक्टूबर 2025 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो जिला मुख्यालय रायगढ़ में माह अक्टूबर में सुश्री पुनीत समीक्षा खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(04) यदि माह अक्टूबर 2025 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो बाह्य न्यायालय घरघोड़ा में माह अक्टूबर में श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(05) यदि माह अक्टूबर 2025 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो बाह्य न्यायालय खरसिया में माह अक्टूबर में कु. मृणालिनी कातुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

सही /-
(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक- क्यू/सीजेएम/2025

रायगढ़, दिनांक 01/10/2025

प्रतिलिपि:-

01. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/(एफ.टी.सी.)/(पॉक्सो एक्ट) रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़/घरघोड़ा/खरसिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. जिला अभियोजन अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायगढ़/घरघोड़ा/खरसिया जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, रायगढ़।
- ✓ 11. सिस्टम आफिसर, रायगढ़ को सूचना प्रेषित करने हेतु।
12. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायगढ़

दिनांक - 01/10/2025

(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)